1– घीसा पिता बालु जाति खाती निवासी काटून्दा तह0 बेगॅू
2– कचरूलाल पिता देवीलाल धाकड निवासी काटून्दा तह0 बेगॅू
3– नारायण पिता भूरा धाकड निवासी तह0 बेगॅू
4– रामेश्वर पिता धन्ना धाकड निवासी काटून्दा तह0 बेगॅू
5– भंवरलला पिता चुन्नीलाल धाकड निवासी काटून्दा तह0 बेगॅू
6–भवाना पिता चुन्नीलाल धाकड निवासी काटून्दा तह0 बेगॅू
7– नानी पिता चुन्नीलाल धाकड निवासी काटून्दा तह0 बेगॅू
8– सरजू पिता चुन्नीलाल धाकड निवासी काटून्दा तह0 बेगॅू
9– शिवलाल पिता मोतीलाल धाकड निवासी काटून्दा तह0 बेगू
10–दिनेश पिता मोतीलाल धाकड निवासी काटून्दा तह0 बेगू
11– कमली पत्नी मोतीलाल धाकड निवासी काटून्दा तह0 बेगू

प्रार्थीगण

बनाम

1– कमलादेवी पत्नि राजकुमार जैन निवासी काटून्दा तह0 बेगॅू
2– राजकुमार पिता मनोहर लाल जैन निवासी काटून्दा तह0 बेगॅू
3–विशाल पिता राजकुमार जैन निवासी काटून्दा तह0 बेगॅू
4– विकास कुमार पिता राजकुमार जैन निवासी काटून्दा तह0 बेगॅू

विपक्षीगण

उपस्थित ::– श्री विजयकुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री सी.पी.शर्मा
अधिवक्ता विपक्षीगण   आदेश ::– 12.09.2023

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा ने वाद पत्र के साथ साथ एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा काटून्दा की वर्तमान खतौनी संख्या 62 में वर्णित आराजी चाह संख्या 1350 रकबा 0.06 हैक्टर कृषि आराजीयात प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 अकेले का 1/2 हक हिस्सा दर्ज है व प्रार्थी संख्या 2 व 3 का 1/4, प्रार्थी संख्या 4 से 11 का 1/4 हिस्सा निहित है। यह कि उक्त आराजी संख्या 1350 से लगी हुई ही प्रार्थी की आराजी संख्या 1353, 1354 है जिसकी सिंचाई 1350 में बने कुंए से सालो से ही हो रही है एवं आराजी सख्या 1350 पर प्रार्थी का वर्षो से कब्जा होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहा है तथा वर्तमान समय में भी उक्त चाह भूमि पर प्रार्थीगण ने पत्थरो की कच्ची कोट कर बाड बन्दी कर रखी थी इस प्रकार प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि उक्त वाद वर्णित कृषि आराजीयात चाह के समीप ही विपक्षी संख्या 1 की भूमि स्थित है विपक्षी संख्या 1 से 4 जो एक ही परिवार के है के मन में बदनियती आ जाने एवं प्रार्थीगण की भूमि को हडपने की गरज से उक्त प्रार्थीगण की चाह भूमि नम्बर 1350 पर जबरन ताकत के बल पर दिनांक 02.06.2021 को अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर आये प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर की गयी पत्थरो [illegible] को गिरा दिया एवं प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन नीव खोदकर निर्माण [illegible] प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 से 4 को ऐसा करने से मना किया तो विपक्षीगण नहीं [illegible] और प्रार्थी संख्या 1 के साथ लडाई झगडा करने लगे एवं प्रार्थी संख्या 1 के साथ [illegible] कर मौके से भग[illegible] तथा प्राथीगण को कहा कि हम तुम्हारी भूमि पर कब्जा कर दु[illegible]ने बना देगें तुम हमा[illegible] नहीं बिगाड सकते इस प्रकार विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य करने पर आमदा है जिसका की कानूनन उन्हें कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्राथी के पक्ष में सिद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:34:53 IST
Reason: SelfAttested

...धारा होगी जिसकी क्षति मे मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। यह कि विपक्षीगण सभी ताकतवर व्यक्ति होकर धनवान लोग है जो अपनी ताकत के बल पर प्रार्थीगण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से जबरन कब्जा करने पर आमादा हे इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यह कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थीगण की तन्हा पैत्रिक स्वामित्व एवं आधिपत्य हक अधिकार की भूमि है जिस पर विपक्षीगण को अवैध रूप से अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है, यदि विपक्षी ऐसा करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपनी भूमि के समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगा , इस कारण विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। यदि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अनावश्यक की मुकद्मेंबाजी बढ जायेगी।

यह कि दिनांक 02.06.2021 को विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश होकर अपने और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर की गयी पत्थरों की दीवार को गिरा दिया होन एवं प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन नीव खोदकर निर्मामण कार्य प्रारम्भ कर दिया होने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतःन्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें िकवह वाद पत्र के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र वर्णित मौजा काटून्दा पटवार हल्का काटून्दा की वर्तमान खतौनी संख्या 62 मे वर्णित आराजी चाह संख्या 1350 रकबा 0.06 हैक्टर कृषि आराजीयात के प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपीोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें एवं नही किसी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण कर कोई निर्माण आदी न तो स्वयं करें न ही नौकर ऐजेन्ट परिवार के सदस्य से करावें ।

प्रार्थीगण का वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, मूवाद पत्रावली में विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा द्वारा अपना अधिकार पत्र पर प्रस्तुत कर इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर जवाब में निवेदन इस प्रकार किया कि खसरा संख्या 1350 रकबा 0.06 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड में होना स्वीकार है लेकिन मौके पर यह भूमि वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 04 को प्रार्थीगण ने स्पष्ट नहीं लिखी है एवं महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है। खसरा संख्या 1350 के पश्चिम दिशा में विपक्षीगण की आबादी में रूपान्तरित भूमि खसरा संख्या 1348 रकबा 0.06 हैक्टर स्थित है, जिस पर विपक्षीगण ने नियमानुसार शुल्क जमा कराकर अपनी दुकानों एवं मकान का निर्माण कार्य कराया है । मौके पर विपक्षीगण की दुकाने पक्की बनी हुई है। खसरा संख्या 1350 के अधिकांश खातेदारों ने विपक्षीगण को उसकी भूमि का हिस्सा भी विक्रय कर अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया है। मौके पर प्रार्थीगण क्रमांक 2 से 11 की कुए के अतिरिक्त कोई भूमि नहीं है क्यो कि विपक्षीगण की भूमि फोरलेन सडक निर्माण में अधिगृहित की जा चुकी है। विपक्षी क्रमांक 01 का केवल 1/2 हिस्सा भूमि होकर इसके हिस्समें 0.3 हैक्टर भूमि आती है लेकिन मोके पर इसका भी कोई कब्जा आ चाह की भूमि पर नहीं है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की आबादी में परिवर्तित भूमि का खसरा संख्या एवं क्षैत्रफल के तथ्य को छिपाकर आधारहीन तथ्य लिखे है। प्रार्थीगण न्यायालय में स्वस्थ्य हाथो से नहीं आया है, इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है प्रार्थीगण के पक्ष में कोई सुविधा सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:34:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है विपक्षीगण की मौके पर कुल 7 दुकाने बनी हुई है विपक्षीगण की भूमि की मौके पर रेवेन्यु अधिकारीगण द्वारा नाप कर चिन्हीत कर बताये ... अपना निर्माण कार्य कराया है। विपक्षीगण अपनी भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे है जिसे रूकवाने का अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। विपक्षीगण की भूमि आबादी में रूपान्तरित भूमि होकर विपक्षीगण का मोके पर निर्माण कार्य लगभग पूरा होकर दुकाने बन चुकी हैतथा प्रार्थीगण विपक्षीगण की आबादी भूमि पर बनी दुकानों के सम्बनध में राजस्व न्यायालय में कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आबादी भूमि के सम्बन्ध में कोई भी अनुतोष केवल सिविल न्यायालय ही प्रदान कर सकते है।

ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी, अनुबन्ध पत्र एवं भूमिरूपान्तरण आदेश की प्रति आदि का अवीलोकन हमारे द्वारा किया गया । प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दुओं का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है:—

1—प्रथम दृष्टया मामला ::—

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा काटून्दा की आराजी संख्या 1350 रकबा 0.06 हैक्टर भूमि का अवलोकन किया गया, प्रार्थीगण उक्त आ.चाह भूमि के सहखातेदार है, लेकिन अधिकांश प्रार्थीगण द्वारा पाबंदी पत्र निष्पादित किया है जिसमें मौजा काटून्दा की खतौनी संख्या 64 में अन्य आराजीयात के साथ अंकित आराजी नम्बर 1349 कुल किता 1 रकबा 0.0300 हैक्टर आ.चाह 1350 खाता में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होकर हम विक्रेतागण का सम्पूर्ण हिस्सा को हम विक्रेतागण ने क्रेता को विक्रय की गई है। साथ भूमि रूपान्तरण आदेश की प्रति अनुसार विपक्षीगण द्वारा आराजी संख्या 1348 जो कि आराजी संख्या 1350 के लगी आराजी है पर अपनी दुकानों का निर्माण किये जाने का उल्लेख अपने जवाब में किया है, यह तथ्य प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट क्यों नहीं किये है, यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की आराजी पर पर जबरन प्रवेश कर निर्माण किया जा रहा है जिस पर प्रार्थीगण के साथ मारपीट होने के तथ्य भी प्रार्थना पत्र में अंकित किये है तो प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध पुलिस थाना मे क्यो नहीं प्रथम ईत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई, साथ ही जब अधिकांश प्रार्थीगण जरिये पाबंदी पत्र से भूमि का विक्रय होने का अनुबन्ध पत्र निष्पादित विपक्षीगण के पक्ष में कर देते है तो उन्हे इस प्रकार के प्रार्थना पत्र को न्यायालय में प्रस्तुत करने का क्या अधिकार होता है यह तथ्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, साथ ही हम अधिवकता विपक्षीगण के कथन से सहमत है कि रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को सुने जाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

2— सुविधा का सन्तुलन ::—

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जो प्रस्तुत किया है वह तथ्यों को छिपाते हुए प्रस्तुत किया है, जबकि अधिकांश प्रार्थीगण द्वारा भूमि विक्रय किये जाने का अनुबंध व विपक्षीगण की भूमि आराजी संख्या 1348 रकबा 0.06 हैक्टर भूमि जो कि रूपान्तरित भूमि होकर उस भूमि पर निर्माण कार्य दुकान बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है यह सभी तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाये है, साथ ही जिस आ.चाह मौजा काटून्दा की आराजी संख्या 1350 रकबा 0.06 हैक्टर भूमि पर को लेकर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया है जबकि आ.चाह भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया जाकर विपक्षीगण द्वारा संपरिवर्तित उनकी भूमि आराजी संख्या 1348 पर दुकानों का निर्माण किया गया है। इस प्रकार तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं दस्तावेजी साक्ष्य से भी प्रार्थना पत्र सिद्ध नहीं हाने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होता है।

3— आर्थिक क्षति ::—

जब विपक्षीगण द्वारा जब अपनी रूपान्तरित भूमि मौजा काटून्दा की आराजी संख्या 1348 पर दुकानों का निर्माण कार्य किया गया है, प्रार्थीगण की आराजी में कोई निर्माण नहीं किया गया है तो प्रार्थीगण को किस प्रकार आर्थिक क्षति होगी स्पष्ट नहीं है।

इस प्रकार तीनों ही मुख्य बिन्दु दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण के विरूद्ध सिद्ध हुए है, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.09.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:34:53 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ